ई-मेल

कोर्टकेस / शीर्षप्राथमिकता

संख्या-619 / सेक-2-पांच-17-6(134) / 2016

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0।,

2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

3.समस्त प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका,
जिला मण्डलीय / पुरूष / महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 8 फरवरी, 2017

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या-21582 / 2016 बेबी / विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 एवं बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या-18888 / 2016 तान्या अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या-21582 / 2016 बेबी / विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2016 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

> "...........13. We dispose of this petition with request to the Principal Secretary, Home, Principal Secretary, Medical Health and the Director General of Police, U.P., Lucknow to consider the matter in the light of the rights of the citizens vested under Article 21 of the Constitution, as highlighted in above extracted portion of the order and issue necessary directions so that the rights of the victims/witnesses are not adversely affected. It be ensured that medical examination of a victim/ witness is concluded preferably within the day. Likewise statement of a witness be recorded under Section 164 Cr.P.C. as soon as possible, as noted above. The witness, subsequent to her medical examination, and/or recording of statement under Section 164 Cr.P.C., be returned to the custody of the same person from whom she was taken.
>
> 14. Let copy of the order be sent to Principal Secretary, Home, Principal Secretary, Medical Health and Director General of Police, U.P., Lucknow, by Senior Registrar of the Court."

2- उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या-18888 / 2016 तान्या अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 20.08.2016 को सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

> ".................13. We dispose of this petition with request to the Principal Secretary, Home, Principal Secretary, Medical Health and the Director General of Police, U.P., Lucknow to consider the matter in the light of the rights of the citizens vested under Article 21 of the Constitution, as highlighted in above extracted portion of the order and issue necessary directions so that the rights of the victims/witnesses are not adversely affected. It be ensured that medical examination of a victim/ witness is concluded preferably within the day. Likewise statement of a witness be recorded under Section 164 Cr.P.C. as soon as possible, as noted above. The witness, subsequent to her medical examination, and/or recording of statement under Section 164 Cr.P.C., be returned to the custody of the same person from whom she was taken.
>
> 14. Let copy of the order be sent to Principal Secretary, Home, Principal Secretary, Medical Health and Director General of Police, U.P., Lucknow, by Senior Registrar of the Court."

3— मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2016 एवं 08.11.2016 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त प्रकरणों के समान सभी मामलों में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं उसका बयान जिस दिन पीड़िता चिकित्सालय/चिकित्सक के समक्ष उपस्थित हो, उसी दिन लिया जाय तथा सायं 5.00—6.00 बजे तक परीक्षण करके जांच रिपोर्ट प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाय। यदि किन्हीं कारणोंवश उसका परीक्षण/बयान उसी दिन लिया जाना संभव न हो सके, तो उसका समुचित कारण का उल्लेख करते हुए पीड़िता का परीक्षण/बयान अगले दिन कराकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—619 (1)/सेक—2—पांच—17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय व निर्देश सहित कि उपर्युक्त निर्देशों का अपने स्तर से कड़ाई से अनुपालन सुश्निचित कराने का कष्ट करें।

2— श्री राजेन्द्र सिंह, एच0जे0एस0, वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—5413, दिनांक 19.12.2016 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु संचिव।